दिनांक 04-02-24 को थाना राजपुर पुलिस ने 14 वर्षीय नाबालिक बालिका को भगा कर ले जाने वाले अभियुक्त को 48 घंटे के अन्दर किया गिरफ्तार।

दिनाँक 03-02-24 को वादिनी द्वारा थाना राजपुर पर एक लिखित तहरीर दी के उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को मोनू नामक एक व्यक्ति बहला फुसलाकर कहीं भगाकर ले गया है । जिस पर थाना राजपुर पर तत्काल मु0अ0सं0- 24/2024 धारा: 363 भादवि पंजीकृत किया गया। घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत नाबालिग बालिका की सकुशल बरामदगी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में तत्काल पुलिस टीम का गठन कर किया गया, गठित टीम द्वारा अभियुक्त के सभी सम्भावित स्थानो पर दबिश दी गई साथ ही सुरागरसी पतारसी करते हुए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। साथ ही इलेक्ट्रानिक एवं मोबाइल सर्विलांस की भी सहायता ली गई। पुलिस टीम द्वारा किये जा रहे लगातार प्रयासों तथा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मोनू को बापूधाम मधुबन क्षेत्र जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्ज़े से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय पेश किया गया।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तः-

मोनू सैफी पुत्र शाहिद सैफी निवासी ब्लॉक 3 बापूधाम थाना मधुबन जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश उम्र - 20 वर्ष।

पुलिस टीमः-

1- उप निरीक्षक शोएब अली चौकी प्रभारी आईटी पार्क थाना राजपुर

2- म0उ0नि0 भावना

3- हेड कांस्टेबल संतोष कुमार